



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर जान से मारने की धमकी देने वाले तथा एससी/एसटी एक्ट के 02 अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के कारावास व ₹5,000 के अर्थ दंड की सजा दिलाई गई,,



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर , सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 158/2002 धारा- 504,506 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई ।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एससीएसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर 02 अभियुक्तों 1. अमर सिंह पुत्र नत्थू सिंह 2. सुन्दर प्रजापति नि0गण रमेड़ी मांझखोर थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर को 02-02 वर्ष के कारावास व ₹5,000 के अर्थ दंड से दण्डित किया गया ।



विशेष लोक अभियोजक  
श्री विजय सिंह



सीओ सदर श्री  
अभय कुमार



पैरोकार थाना  
कोतवाली नगर  
का0 बिजमान सिंह